# न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(सुबे सिंह यादव,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 03 / 2018

राधेश्याम माहूर पुत्र स्व0 श्री रामगोपाल माहूर निवासी प्लाट नं0 4 मराठा कॉलोनी छावनी टोंक राज0

——अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार कोषाधिकारी टोंक

—प्रत्यर्थी

**अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005**

**निर्णय** **दिनांक 14.02.2018**

अपील अपीलाण्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव कोषाधिकारी टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 19.12.2017 को प्रेषित कर अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गईः—

भवन निर्माण अग्रिम की वेतन से काटी गई ई.एम.आई जमा कराने बाबत। अगस्त 2007 से नवम्बर 2017 तक। आवेदक नें जिला न्यायालय टोंक मे क0लि0 के पद पर पदस्थापित रहते हुए भवन निर्माण हेतु एस.बी.बी.जे. ट्रेजरी बिल्डिग टोंक से ऋण लिया था जिसकी मासिक किश्त 3648 रूपये वेतन से काटी जा रही है। संलग्न सूची मे वेतन बिल संख्या दिनांक ई.एम.आई राशि टी.बी. नम्बर व दिनांक से संबंधित उन दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराई जावे जिनके माध्यम से बैक मे आवेदक के ग्रह ऋण खाते मे राशि जमा कराई गई।

अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुऐ। लोक सूचना अधिकारी एंव कोषाधिकारी टोंक को पत्र क्रमांक 200 दिनांक 23.01.2018 द्वारा जवाब भिजवाने हेतु निर्देशित करने पर लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी टोंक ने पत्र क्रमांक 588 दिनांक 01.02.2018 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी को पत्र क्रमांक 535 दिनांक 29.12.2017 से प्रार्थी को उपस्थित होकर रिकार्ड का अवलोकन कर वांछित रिकार्ड की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने हेतु निर्धारित फीस के भुगतान हेतु लिखा गया था,लेकिन प्रार्थी कार्यालय मे उपस्थित नही हुये। अतः प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह कार्यालय कोषाधिकारी टोंक मे उपस्थित होकर रिकार्ड का अवलोकन कर,निर्धारित शुल्क जमा कराकर सूचना प्राप्त करे तथा कोषाधिकारी टोंक अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करावे।

निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव कोषाधिकारी टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(सुबे सिंह यादव)
जिला कलेक्टर एंव
प्रथम अपील अधिकारी टोंक